संक्षिप्त रिपोर्ट

राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

2015

के बाद विकास ढांचा

भारत

UNITED NATIONS
संयुक्त राष्ट्र

यूनाइटेड नेशन्स रेज़िडेण्ट कोऑर्डिनेटर्स ऑफ़िस

इस रिपोर्ट में शामिल विश्लेषण और सिफ़ारिशें अनिवार्य रूप से यूनाइटेड नेशन्स के आधिकारिक विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करतीं। लिखित सामग्री का उपयोग स्त्रोत का समुचित उल्लेख करते हुए किया जा सकता है। चित्रों के कॉपीराइट सुरक्षित हैं।

आवरण चित्रः यूएन विमैन/अनिन्दित रॉय–चौधुरी

राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

UNITED NATIONS
संयुक्त राष्ट्र

संक्षिप्त रिपोर्ट
राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

2015
के बाद विकास ढांचा
भारत

पूरी रिपोर्ट के लिए कृपया देखें:
www.in.one.un.org

चित्र सौजन्यः यूएन विमेन

विषय सूचीः

संक्षिप्त रिपोर्ट – राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट 2015 के बाद विकास ढांचाः भारत | 4

बदलता वैश्विक सन्दर्भ | 8

राष्ट्रीय सन्दर्भ | 12

नए विकास एजेण्डा के लिए प्रस्ताव | 20

चित्र सौजन्यः यूएन विमैन

संक्षिप्त रिपोर्ट

राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

2015 के बाद विकास ढांचाः भारत

1. **सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (MDGs) अनूठे हैं क्योंकि इन्होंने वैश्विक विकास के लिए एक सर्वस्वीकृत और आसानी से मापा जा सकने वाला ढांचा स्थापित किया है।** सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की स्वीकृति अन्य विकास ढांचों से अधिक रही है। कुछ हद तक इसका कारण यह है कि यह सहस्त्राब्दि घोषणा में निहित आधारभूत मूल्यों – स्वतन्त्रता, समानता, एकजुटता, सहनशीलता, प्रकृति के सम्मान और साझा जिम्मेदारी – पर आधारित हैं। यह लक्ष्य सरल, लोगों की आशाओं को प्रतिबिम्बित करनेवाले और सम्मानजनक जीवन की सर्वसहमत अवधारणा को निरूपित करने वाले हैं। एक ऐसे दौर में जब संसार के देश कठिन प्रश्नों पर सहमति तैयार नही कर पा रहे हैं तब सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य बहुआयामी गरीबी के उन्मूलन की लड़ाई में एक प्रेरक शक्ति बने हुए हैं। लेकिन सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य जितने भी उपयोगी रहे हों उनमें कई कमियां भी रही हैं। हालांकि लक्ष्य उन प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं जिन पर अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में सहमति बनी थी लेकिन इन पर किसी अन्तर–सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से वार्ता नहीं हुई। यह लक्ष्य केवल विकासशील देशों पर लागू होते हैं, विकसित देशों पर नहीं; इसके अलावा यह अभिशासन और मानवाधिकारों सहित अर्न्तराष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों का ज़िक्र भी नहीं करते।

2. **भारत में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य देश के विकास एजेण्डा के केन्द्र में हैं।** भारत प्रमुख सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरी तरह या लगभग प्राप्त करने की राह पर है। इनमें लक्ष्य दो के अर्न्तगत सार्वजनीय प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य और लक्ष्य तीन के अन्तर्गत शिक्षा में जैण्डर समानता लक्ष्य भी शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण, मन्त्रालयों और शासन के सभी स्तरों पर संयोजित, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से भारत एचआईवी/एड्स के प्रसार की प्रवृत्ति को रोक चुका है जो लक्ष्य छः के अर्न्तगत एक कठिन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य था।

3. **अन्य पक्षों में भी अच्छी प्रगति हो रही है।** लक्ष्य सात के अर्न्तगत टिकाऊपन के लक्ष्य की दिशा में भारत ने वनक्षेत्र बढ़ाया है और क्लोरोफ़्लोरोकार्बनों के उपयोग में कमी की है। लक्ष्य सात के अन्तर्गत जल और स्वच्छता लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी तक पहुंच वाले लोगों की संख्या दोगुनी हुई है और पीने के सुरक्षित पानी तक पहुंच से दूर परिवारों का अनुपात आधा रह गया। कनैक्टिविटी के बहुत तेजी से बढ़ने के कारण भारत पहले ही लक्ष्य आठ के अन्तर्गत नई संचार प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है।

4. **लेकिन अन्य लक्ष्यों, विशेषरूप से पोषण और स्वास्थ्य पर, प्रगति अपेक्षा से कहीं धीमी रही है।** हालांकि सरकार बड़े सामाजिक

''1980 के दशक में, अन्तर्राष्ट्रीय (आर्थिक) बहस पर पूरी तरह नवउदार आर्थिक सिद्धान्त पर आधारित वाशिंगटन कन्सैन्सस हावी रही। गरीबी कम करने को अक्सर अधिक आर्थिक वृद्धि के समतुल्य देखा गया। इस के पीछे विचार यह था कि आर्थिक वृद्धि से देरसवेर ही सही, लाभों के निचले स्तरों तक पहुंचने की प्रक्रिया के माध्यम से, गरीबों को भी लाभ मिलेगा। 1990 के दशक में धीरे–धीरे स्पष्ट हुआ कि यह मान्यता तर्कसंगत नहीं है।''

2013 स्टैटिस्टिकल इयरबुक इण्डिया

"2015 के बाद के विकास एजेण्डा में वर्णन की वह सरलता बचाए रखी जानी चाहिए जो सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की ताकत थी। एजेण्डा विश्व की प्रमुख विकास चुनौतियों पर केन्द्रित रहे लेकिन व्यवहार्य और लागू किया जा सकने वाला और संख्या में सीमित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एजेण्डा में विश्व की समस्याओं की विस्तृत सूची न भर दी जाए।" **सरकार**

कार्यक्रमों में भारी निवेश कर रही है लेकिन भारत, लक्ष्य एक के अर्न्तगत भूख में कमी लाने का लक्ष्य पाने से चूक जाएगा। राइट टु फूड बिल और पोषण पूर्वलेखों में सुधारों सहित नई पहलें, सामान्य से कम वजन वाले 40 प्रतिशत बच्चों की स्थिति में सुधार लाएंगी और वैश्विक भूख सूचकांक में भारत के 81 में से 67वें स्थान में प्रगति होगी। भारत सम्भवतः पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में कमी लाने के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, वह लक्ष्य पांच के अर्न्तगत सुरक्षित प्रसव के लक्ष्य से भी बहुत पीछे चल रहा है। टी.बी. की व्यापकता, इस रोग पर नियन्त्रण के प्रयासों के बावजूद, बढ़ती ही जा रही है। इससे भी ज़्यादा चिन्ता की बात यह है कि लगभग 60 करोड़ लोग अब भी खुले में मल त्याग करते हैं, यह संख्या संसार के सभी देशों से अधिक है। इस के कारण भारत के लिए लक्ष्य सात के अर्न्तगत स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना लगभग असम्भव होगा।

5. **2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के विस्तार के दौरान भारत में हितधारकों ने इस बात पर चर्चा की कि कुछ लक्ष्यों पर प्रगति तेज और कुछ अन्य लक्ष्यों पर धीमी क्यों रही।** लक्ष्यों और क्षेत्रों, लिंगों और अल्पसंख्यक समूहों के बीच प्रगति की असमानता के कारणों में वैश्विक आर्थिक संकट, अन्यायपूर्ण व्यापार पैटर्न, नौकरियां न होने के बावजूद वृद्धि की परिघटना, बढ़ती असमानता, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाना, सामाजिक कार्यक्रमों का खराब कार्यान्यवन, अभिशासन की कमियां और जैण्डर हिंसा और भेदभाव सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन शामिल हैं। 12वीं योजना में भारत ने फिर से सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और "और तेज, समावेशी और टिकाऊ वृद्धि" की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया है। भारत का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय यूएन डेवलपमैण्ट ग्रुप द्वारा अनुशंसित 48 में से 35 संकेतकों को मॉनिटर कर रहा है। 2005 से अब तक, चार राष्ट्रीय रिपोर्टें जारी की गई हैं और स्टैटिस्टिकल इयरबुक 2013 में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर प्रगति के नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

6. **सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी संकल्पबद्धता को आगे ले जाते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 2015–के–बाद–विकास–एजेण्डा (post-2015 development agenda) पर व्यापक परामर्शों के लिए आह्वान पर अनुक्रिया की है।** सितम्बर 2012 से शासन, ट्रेड यूनियनों, उद्योग, स्त्री संगठनों, किसानों के संगठनों, शोध संस्थाओं, सिविल सोसायटी और युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करनेवाले आठ राष्ट्रीय संयोजकों ने पूरे देश में क्षेत्र–आधारित परामर्श आयोजित किए हैं। इन परामर्शों में तीन मोटे– मोटे विषय क्षेत्रों– बदलता वैश्विक परिदृष्य; राष्ट्रीय परिदृष्य; और 2015–के–बाद–के–नए–ढांचे (new post-2015 framework) के लिए सुझाव– में बंटे 25 मार्गदर्शक प्रश्नों का उपयोग किया गया।

7. **संयोजकों ने 2015–के–बाद–परामर्श (post-2015 consultation) के लिए इनपुट तैयार करने के लिए कई सहभागितापूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया है** जिन में ज़िला, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बैठकें, वैब आधारित मंच, संवाद समूह, टाउन हॉल बैठकें और शोधपत्र शामिल थे। प्राप्त निश्कर्षों को एक मानकीकृत रिपोर्टिंग टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए मिलाया गया गया है। यूनाइटेड नेशन्स रेज़िडेण्ट कोऑर्डिनेटर के कार्यालय द्वारा विकसित एक 2015–के–बाद वैबसाइट के माध्यम से सहभागियों के परिचय, प्रस्तुतियां, फ़ोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दी गई हैं। नागरिकों के इनपुट के लिए एक मंच होने के अलावा यह वैबसाइट संरचनाबद्ध परामर्शों के बाहर मौजूद हितधारकों द्वारा तैयार किए गए अध्ययनों, रिपोर्टों, विचारात्मक लेखों, आयोजनों, सेमिनारों और राउण्डटेबल संवादों सहित सभी संगत 2015–के–बाद–दस्तावेजों का एक संग्रह भी है।

8. **क्षेत्र परामर्शों के परिणाम एक राष्ट्रीय अनुसमर्थन (National Validation) में साझा किए गए हैं।** इस राष्ट्रीय अनुसमर्थन को यूनाइटेड नेशन्स रेज़िडेण्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा फ़ैसिलिटेट किया गया और विदेश मन्त्रालय ने इसमें भाग लिया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय अनुसमर्थन के प्रमुख निश्कर्षों और अनुशंसाओं का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया गया है और तीन मोटे–मोटे विषय क्षेत्रों में संयोजित की गई हैः बदलता वैश्विक सन्दर्भ, राष्ट्रीय सन्दर्भ और नए ढांचे के लिए सुझाव। भारत की विविधता को देखते हुए सभी समूह, सभी निश्कर्षों से सहमत नहीं है। हर क्षेत्र के विचारों का पूरी तरह सामने आना सुनिश्चित करने के लिए आठ संयोजकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टें संलग्नक में दी गई हैं।

''सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के विपरीत, 2015 के बाद का विकास ढांचा विकासशील देशों के साथ ही विकसित देशों पर भी लागू हो ताकि ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों का एक अधिक समतापूर्ण समुच्चय रचा जा सके। विकसित देशों से भी लक्ष्यों तक पहुंचने की अपेक्षा रखी जानी चाहिए।''
सरकार

चित्र सौजन्यः यूनेस्को

बदलता वैश्विक सन्दर्भ

इस खण्ड में परामर्श के दौरान बदलते वैश्विक सन्दर्भ और 2015–के–बाद–ढांचे के लिए इनके निहितार्थों के बारे में उठाए गए प्रमुख बिन्दुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. **सन् 2000 के बाद से, जब मूल सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर सहमति बनी थी, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय वैश्विक सन्दर्भ काफी बदल चुका है।** संगत बने रहने के लिए नए 2015–के–बाद–विकास–ढांचे को इन बदलावों को ध्यान में रखना चाहिए जिनमें से कई अपनी प्रकृति और विस्तार में गहन–गम्भीर हैं।

राजनीतिक बदलाव

10. **विकासशील विश्व (Global South) संसार में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरा है, हालांकि विकसित और विकासशील देशों के बीच आधारभूत असमानताएं बनी हुई हैं।** नए विकास एजेण्डा के लिए इस तथ्य के कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। एक, वैश्विक विकास संस्थाओं के शासन ढांचे अभी तेजी से विकसित हो रहे देशों की भूमिका सहित नई राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित नहीं करते। 2015 के बाद के लिए एजेण्डा में विकासशील विश्व का विश्वास बनाए रखने के लिए इस स्थिति का बहुत जल्दी बदलना जरूरी है। दूसरा, पिछले दशक में ऊंची विकास की दरें प्राप्त करनेवाले देशों सहित विकासशील देश गरीबी, वंचना, भूख, कुपोषण, जैण्डर असमानता, खराब शिक्षा व्यवस्था अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं से पीड़ित हैं। विकासशील विश्व के उदय से परिदृश्य में भारी बदलाव भले ही आए हैं लेकिन इस से अपर्याप्त विकास की विरासत और परिणामों से पार पाने में विकासशील देशों की सहायता की विकसित विश्व (Global North) की ऐतिहासिक जिम्मेदारी किसी भी तरह कम नहीं हो जाती। अपनी सकल राष्ट्रीय आय का 0.7 प्रतिशत आधिकारिक विकास सहायता के लिए देने के अपने संकल्प को पूरा करने में विकासशील देशों की असफलता निराशाजनक है। विकासशील देश आशा करते हैं कि नए एजेण्डा के माध्यम से इसे सुधार लिया जाएगा। इसके साथ ही विकासशील देशों के आपसी सहयोग (South-South Co-operation) की व्याप्ति और भूमिका के बारे में कोई गलतफ़हमी नहीं बची रहनी चाहिए। एकजुटता का यह नया और उत्साहजनक रूप स्वैच्छिक साझेदारी है। विकासशील विश्व के लिए नए विकास एजेण्डा में विकासशील देशों के आपसी सहयोग के इस आवश्यक पक्ष का सम्मान एक प्राथमिकता है।

11. **आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई अब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर हावी है और जन–सम्प्रेषण और सोशल मीडिया अनपेक्षित तरीकों से राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित कर रहे हैं।** 9/11 के बाद विकास रणनीतियों के सुरक्षा आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होने की

"वैश्विक आर्थिक प्रकिया के धीमे होने से स्थिति खराब हुई है। विकासशील देशों के लिए कार्यान्वयन के साधन कम हो रहे हैं। हमारे समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षा–आधार उपलब्ध करवाने की हमारी क्षमता कम होती जा रही है जिस से विकसित और विकासशील विश्वों के बीच की खाई बढ़ी है।"
सलमान खुर्शीद, विदेश मन्त्री

राष्ट्रीय संयोजकों ने सितम्बर 2012 से फरवरी 2013 के बीच 24 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 75 से अधिक समुदाय, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र आधारित परामर्श आयोजित किए। इन परामर्शों में लगभग 15000 लोगों ने भाग लिया, इनमें से 25 प्रतिशत स्त्रियां थीं, और भारतभर में लगभग 40 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करनेवाले हज़ारों संगठन इस प्रक्रिया में शामिल हुए। **शासन** परामर्श विदेश मन्त्रालय द्वारा संयोजित किया गया और इसमें शासन के संगत भाग शामिल थे।

सिविल सोसायटी परामर्श का आयोजन वादा न तोड़ो अभियान ने किया था, जो गरीबी और सामाजिक प्रक्रियाओं से बाहर रखे जाने को खत्म करने के लिए काम करने वाले 4,000 से अधिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा है। वादा न तोड़ो अभियान ने 13 परामर्श आयोजित किए जिनमें 5 विषयगत, 3 अकादमिक, 4 क्षेत्रीय और 1 राष्ट्रीय परामर्श शामिल थे।

उद्योग परामर्श का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ़ इण्डियन इण्डस्ट्री ने किया। यह एक प्रमुख व्यवसाय संगठन है जिसके प्रत्यक्ष सदस्यों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के 7100 संगठन शामिल हैं और 90000 कम्पनियां इसकी अप्रत्यक्ष सदस्य हैं। कन्फेडरेशन ऑफ़ इण्डियन इण्डस्ट्री ने 24 राज्य परामर्शों और 1 राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया जिन में बड़ी, मझोली और छोटी कम्पनियों, लघु उद्यमों, स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यवसाय समितियों, श्रमिक कल्याण संगठनों और कॉरपोरेट संगठनों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमैण्ट प्रोग्राम द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई गई।

ट्रेड यूनियन परामर्श का आयोजन इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉग्रेस ने किया था जो इण्डियन नेशनल कॉग्रेस की ट्रेड यूनियन शाखा है और इण्टरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फैडरेशन से जुड़ा है। इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉग्रेस ने चार क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया जिन से देश की 12 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों में से 11 के वरिष्ठ ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि जुड़े थे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन ने सहायता उपलब्ध करवाई।

किसान संगठन परामर्श का आयोजन स्मॉल फ़ारमर्स एग्रि बिज़नेस कन्सॉर्शियम ने किया था जो 25,000 किसान सदस्यों वाले 250 किसान उत्पादक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। कन्सॉर्शियम कृषि–आधारित उद्योगों, मत्स्यपालन, और बागवानी के माध्यम से किसानों के लिए निवेश, प्रौद्यौगिकी और बाज़ारों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से काम करता है। स्मॉल फ़ारमर्स एग्रि बिज़नेस कन्सॉर्शियम ने आठ क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से फूड एण्ड एग्रिकल्चर ऑरगनाइज़ेशन ने सहायता उपलब्ध करवाई।

स्त्री संगठनों के परामर्श का आयोजन नेशनल मिशन फ़ॉर इम्पावरमैण्ट ऑफ़ विमेन ने किया था। यह महिला और बाल विकास मन्त्रालय का हिस्सा है जिसे विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में महिलाओं के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों का समन्वय करने का अधिदेश प्राप्त है।

नेशनल मिशन फ़ॉर एम्पावरमैण्ट ऑफ़ विमेन ने 15 सामुदायिक, 3 क्षेत्रीय और 1 राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किए। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूएन विमेन ने सहायता उपलब्ध करवाई।

शोध संस्थान परामर्श का संयोजन रिसर्च एण्ड इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर डेवलपिंग कण्ट्रीज़ ने किया। विदेश मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यरत यह स्वायत्तशासी थिंक टैंक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रश्नों और विकास सहयोग पर नीतिगत शोध करता है। रिसर्च एण्ड इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर डेवलपिंग कण्ट्रीज़ ने नीति, शोध और आर्थिक प्रश्नों पर काम करनेवाले 24 अग्रणी शोध संस्थानों के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूएन इकॉनॉमिक एण्ड सोशल कमिशन फ़ॉर एशिया एण्ड पैसिफ़िक ने सहायता उपलब्ध करवाई।

युवा परामर्श का सहसंयोजन 4 युवा संगठनों, जोश, प्रवाह, द वाईपी फाउण्डेशन और रैस्टलेस डेवलपमैण्ट ने किया। जोश युवाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रश्नों से जोड़ने के लिए काम करता है। प्रवाह का स्वप्न युवाओं द्वारा सामाजिक बदलाव के लिए नेतृत्व तैयार करना है। रैस्टलेस डेवलपमैण्ट इण्डिया युवाओं को एकजुट करने और उन्हें सामर्थ्यसम्पन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। द वाईपी फ़ाउण्डेशन युवाओं द्वारा संचालित संगठन है जो जैण्डर, यौनिकता, स्वास्थ्य और अधिकारों, शिक्षा, डिजिटल मीडिया, कला और अभिशासन के क्षेत्रों में कार्यक्रमों के सृजन और नीतियों को प्रभावित करने के लिए युवाओं की सहायता करता है। संयोजकों ने पांच क्षेत्रीय परामर्शों का आयोजन किया जिनमें पूरे भारत के 100 से अधिक युवा संगठनों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूएनएफ़पीए और यूनिसेफ़ ने सहायता उपलब्ध करवाई।

"2015 के बाद के विकास ढांचे को आकार देने में विकासशील देशों की भूमिका सिर्फ़ नीतिगत बदलाव सुझाने तक ही सीमित न रहे बल्कि इस में प्रचलित आर्थिक नीति पैमाने में बड़े बदलाव लाना भी शामिल हो।"
सिविल सोसायटी

प्रवृत्ति बढ़ रही है और अलग स्थितियों में जो वित्तीय संसाधन सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निर्धारित किए जाते, वे ऐसे कार्यक्रमों के लिए दिए जा रहे हैं जिनका सामाजिक असमानताओं पर सीमित या बाकायदा नकारात्मक प्रभाव होगा। इसके साथ ही एक देश में होनेवाली राजनीतिक घटनाएं दूसरे क्षेत्रों और देशों को उन सम्प्रेषण प्रौद्यौगिकियों के माध्यम से प्रभावित कर रही हैं जो वैश्विक नागरिकों को तेजी से विकसित होते घटनाक्रम के सम्पर्क में ले आती हैं। विचार और नैटवर्क बहुत तेजी से और शायद इतने प्रभावशाली ढंग से फैल रहे हैं जितना पहले कभी देखा नहीं गया। सही ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर नई प्रौद्यौगिकियां अबतक मुख्यधारा से बाहर रखे गए समुदायों के सशक्तीकरण में सहायता कर सकती हैं और उन्हें निर्णय लेने के केन्द्रों के साथ ही अन्य हाशिए पर पहुंचे समुदायों से जोड़ सकती हैं। इस स्थिति को स्वीकार कर लेना 2015–के–बाद को एक नई पीढ़ी के लिए संगत बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

आर्थिक प्रश्न

12. **2008 के वित्तीय संकट और वैश्वीकरण ने विकासशील विश्व में कामगारों और उत्पादकों पर अनुपातिक रूप से बहुत अधिक प्रभाव डाला है।** आर्थिक मन्दी के सबसे चिन्तित करने वाले परिणामों में से एक है पूरे संसार में नौकरियों का तेजी से असुरक्षित होते जाना। इसका प्रभाव विकासशील देशों में, जहां वैश्विक पूंजी ने तनख्वाहों पर ज़बर्दस्त दबाव बनाया है और जहां श्रमबल और कामगारों की सुरक्षा के उपाय विकसित विश्व जैसे उन्नत नहीं हैं, विशेषरूप से कई गुना हुआ है। खासतौर से कृषि क्षेत्र में न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने में विश्व व्यापार वार्ताओं की असफलता ने विकासशील विश्व में उत्पादकों को असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया है। विकसित विश्व के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी बाज़ार और मूल्यों में विकृति लाती है, इस से संसार की कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों पर पड़नेवाला बोझ और बढ़ा है।

13. **विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर सहायता का वचन देने के बावजूद, आधिकारिक विकास सहायता का योगदान रूपान्तरकारी सामाजिक और आर्थिक बदलाव में बहुत कम ही रहा है।** दशकों तक भूतपूर्व औपनिवेशिक देश और अन्य पहल करनेवाले जो कम से कम कुछ हद तक तो वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं और संसाधनों पर एकाधिकार जमा कर समृद्ध हुए, गरीबी और वृद्धि में अवरोधकों से पार पाने में देशों की सहायता करने के प्रति मजबूत वचनबद्धता जताते रहे हैं। मूल सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रयासों को मुट्ठीभर मानव विकास लक्ष्यों पर केन्द्रित करके रूपान्तरकारी प्रक्रिया को तेज करना था। लेकिन व्यवहार में, पिछले दशक में लगभग 100 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालनेवाले विकास निवेश का बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय बजटों के माध्यम से उत्पादित हुआ है और राष्ट्रीय संस्थानों

द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। विकास सहायता की भूमिका निराशाजनक रही है। अगर 2015–के–बाद–के–लिए–नए–ढांचे की व्याप्ति और महत्वाकांक्षा को वैश्विक बने रहना है तो विकासशील विश्व के देशों को आश्वस्त किया जाना होगा कि विकास पूंजी और निवेश बेहतर व्यापार समझौतों, अधिक सुगम्य बैंकों, अधिक नवोन्मेषी वित्तीय संस्थानों और अधिक उदार सार्वजनीय कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक तत्परता से और समतापूर्वक उपलब्ध रहेगी। विकासशील देशों से संसाधनों को खाली कर देनेवाले अवैध वित्तीय प्रवाहों को रोकना, करों को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बढ़ाना और कर व्यवस्था के छिद्रों को बन्द करना, नए ढांचे के लिए राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय संसाधन जुटाने के महत्वपूर्ण तरीके हैं।

"युवाओं को, सिर्फ़ सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए एक बढ़ते श्रमबल के रूप में देखने का नज़रिया ज़बर्दस्त ढंग से निकट–दृष्टि दोष से पीड़ित है; यह बढ़ती बेरोज़गारी की विडम्बना को देख ही नहीं पाता।" **युवा समूह**

सामाजिक प्रश्न

14. **पूरे विकासशील विश्व में जनसंख्या वृद्धि सामाजिक समझौतों और पीढ़ियों के आपसी सम्बन्धों पर इस तरह नए दबाव बना रही है कि देशों के लिए उनसे निपट पाना मुश्किल है।** पूरे विकासशील विश्व में, खासी बड़ी संख्या में युवा सीमित राष्ट्रीय संसाधनों के लिए पुरानी पीढ़ियों के प्रतिद्वन्द्वी हैं। सरकारों के सामने शिक्षा और प्रशिक्षण के बजटों और बूढ़े, कामगारों और बेहद गरीबी में रह रहे अन्य लोगों की मदद के लिए पेंशनों और सार्वजनीय अधिकारों की मांगों के बीच सन्तुलन बनाने की समस्या है। समाज के सभी वर्गों की बढ़ती अपेक्षाएं देशों को ऐसी नीतियां अपनाने की दिशा में धकेल रही हैं जो आगे चल कर टिकाऊ साबित नहीं होंगी। सरकारें अनियन्त्रित वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और शहरीकरण के नकारात्मक सामाजिक परिणामों – मानव तस्करी, मादक प्रदार्थ का उपयोग और बढ़ती जैण्डर आधारित हिंसा – का समाधान करने के लिए जूझ रही हैं। विकासशील विश्व में तैयार हो रहे सामाजिक दबावों की अनदेखी करनेवाला 2015–के–बाद–के–लिए–ढांचा सीमित रूप से ही उपयोगी होगा।

पर्यावरणीय प्रश्न

15. **विश्व के सामने खड़ी पर्यावरणीय समस्याएं लगभग अप्रबन्धनीय लग रही हैं।** हमारे ग्रह का जीवन पल–पल क्षीण हो रहा है, ऐसे में जलवायु परिवर्तन के समाधान, सभी के लिए ऊर्जा सुनिश्चित कराने, पानी के लिए प्रतिद्वन्द्विता कम करने और पर्यावरणी ह्रास को रोकने के लिए ढांचों पर सहमति में देरी, गहरी चिन्ता का विषय है। साझा लेकिन अलग–अलग जिम्मेदारियां (CBDR) सिद्धान्त, जो 2012 में रियो+20 सम्मेलन में पुष्ट किया गया, टिकाऊ और समतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का सबसे समझदारी भरा उपाय है। नए ढांचे में इस स्थिति से पीछे हटना पछतावे का कारण और उत्पादकता–विरोधी होगा।

राष्ट्रीय सन्दर्भ

यह खण्ड परामर्श के दौरान भारत के राष्ट्रीय सन्दर्भ के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा है।

अभिशासन

16. **भारत की अभिशासन उपलब्धियां उसे अन्य देशों से अलग बनाती हैं।** अपनी स्वतन्त्रता के समय से ही लोकतान्त्रिक परम्परा को अपनाने वाले भारत में मदाताओं की संख्या अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से अधिक है, यहां 12 लाख निर्वाचित स्त्री प्रतिनिधि हैं जो संसार में सबसे बड़ी संख्या है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र, जिसका विधायी ढांचा संसार के सबसे प्रगतिशील ढांचों में से एक है, भारत, अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से तीव्र, समावेशी और टिकाऊ राष्ट्रीय वृद्धि प्राप्त करने को संकल्पबद्ध है और मानवाधिकारों को वैश्विक अभिशासन और संवाद की आधारशिला मानता है। निराशाजनक यह है कि शासन के सभी स्तरों को प्रभावित करने वाले और सबसे गरीब लोगों पर सबसे अधिक कुप्रभाव डालने वाले भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों का प्रभाव बहुत ही कम दिख रहा है। ''वामपन्थी चरमपन्थ'' और विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता लाने के लिए अवपीड़क प्रयास जारी हैं। इन प्रयासों में कभी–कभी सुरक्षा बलों द्वारा शक्ति का दुरूपयोग शामिल होता है इसलिए अक्सर इनकी आलोचना होती है।

17. **सामाजिक आन्दोलन बदलाव की पैरवी कर रहे हैं।** भ्रष्टाचार समाप्त करने, जनजातीय अधिकार सुनिश्चित करने और स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा रोकने के लिए अभियान भारत भर में करोड़ों लोगों को एकजुट कर देते हैं। भारत के सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध समूह अक्सर सामाजिक जिन्सों के परिदान, मानवाधिकारों के उल्लंघनों और शिकायतों के समाधान की अपर्याप्त व्यवस्था से जुड़ी अधिशासन की कमियों पर प्रश्न उठाते हैं। भारत भर में संगठनों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के पक्ष में अभियान चलाए और सोशल ऑडिट में सहायता की जिससे कई ज़िलों में जवाबदेही में सुधार हुआ है। हालांकि नियोजन, बजटिंग और मॉनिटरिंग में नागरिकों की भागीदारी के स्तर हर जगह अलग–अलग हैं, लेकिन और अधिक विकेन्द्रीकरण, खासतौर पर पंचायत स्तर पर, को जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के ठोस उपायों के रूप में देखा जाता है।

''अभिशासन का एक स्वीकार्य और सही स्वरूप, संगठित समाज के प्रबन्धन और रखरखाव में, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है''। **उद्योग जगत**

आर्थिक प्रश्न

18. **भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, सकल घरेलू उत्पाद के मायनों में यह संसार में चौथे नम्बर पर है।** इस वृद्धि का प्रभाव उल्लेखनीय है। पिछले दस वर्षों में भारत में गरीबी के स्तर में कमी आने में तेजी, उससे पहले दशक की तुलना में ढाई गुना अधिक रही। भारतीय कम्पनियां कई क्षेत्रों में संसार में अग्रणी हैं। विशाल युवा जनसंख्या और कुशल कार्यबल के चलते भारत को नए बाजारों और बेहतर उत्पादकता के महत्वपूर्ण प्रेरक के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रभावशाली रिकॉर्ड के बावजूद 1990 के दशक से चरम सीमा तक सम्पत्ति और असमानता में वृद्धि भारत की वृद्धि का सबसे विलक्षण गुण रहा है। भारत का जिनी गुणांक जो 1993 में 0.32 था, 2008 में 0.38 हो गया। और जनसंख्या की शीर्षस्थ 20 प्रतिशत जनसंख्या की आय का अंश जो 1994 में 40 प्रतिशत था वह 2005 में 42.4 प्रतिशत हो गया।

19. **संसार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि भारत की वृद्धि के सामाजिक स्थितियों पर और अधिक सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं हुए।** इस परिघटना के पीछे जटिल कारण हैं लेकिन कम से कम कुछ हद तक वह ठीकठाक काम में कमी, अनौपचारिक ठेका मजदूरी में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी और

''आय की असमानता से निपटने पर ज़ोर प्राथमिकता का विषय है। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि समावेशी वृद्धि के माध्यम से जनसंख्या के सबसे गरीब 20 प्रतिशत लोग अपने आर्थिक स्तर को सबसे समृद्ध 20 प्रतिशत लोगों से अधिक तेजी से सुधार सकें।'' **स्त्री संगठन**

''विश्व के विकास के इतिहास में एक अर्थव्यवस्था के इतने लम्बे समय तक, इतनी तेजी से बढ़ने और उस के व्यापक सामाजिक प्रगति के मायनों में ऐसे सीमित परिणामों का शायद दूसरा उदाहरण न हो।'' **अमर्त्य सेन, नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री**

चित्र सौजन्यः एफएओ

"नौकरियां विकास का केन्द्र हैं। इसलिए, रोज़गार को गरीबी, असमानता और सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक प्रक्रियाओं से बाहर रखे जाने की बाधाओं से पार पाने के एक प्राथमिक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।" **ट्रेड यूनियनें**

गुज़ारे लायक वेतन से कम दरों पर काम करने के लिए मज़बूर आन्तरिक प्रवासियों की भारी संख्या सहित कई घटकों के एक संयोजन से जुड़े हैं। एक और महत्वपूर्ण घटक कृषि क्षेत्र है जो सबसे अधिक कार्यबल का उपयोग करता है लेकिन इसके साथ ही यह सबसे कम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और फिलहाल शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और खनन की मांगों का जबर्दस्त दबाव झेल रहा है। मुद्रास्फीति, खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दाम और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत की चोट खासतौर पर जनसंख्या के सबसे निचले 20 प्रतिशत वर्ग पर पड़ी है। विशेषज्ञों का अन्दाज़ा है कि परिवार के एक ही सदस्य के चिन्ताजनक रूप से बीमार पड़ जाने पर बहुत से परिवार गरीबी की रेखा से नीचे सरक जाएंगे।

20. **अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन कामगारों पर दबाव बरकरार है।** कामगारों के लिए काम करने की स्थितियां अस्थिर हैं, विशेषरूप से अनौपचारिक क्षेत्र में जहां आउटर्सोसिंग और ठेके पर काम देने के प्रचलन से जुड़े श्रम कानूनों और अधिकारों के उल्लंघन व्यापक रूप से होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि की असमता श्रमबल पर प्रभाव डालती है। लाभ देनेवाले सेवाक्षेत्रों को छूटें और नकद प्रोत्साहन मिलते हैं जबकि श्रमबल के सबसे बड़े हिस्से को रोज़गार देनेवाले कृषि और उत्पादन क्षेत्र काम करने की स्थितियों और मज़दूरी को सुधार नहीं

चित्र सौजन्यः आइएलओ

पाए हैं। श्रमबल के लिए एक सकारात्मक विकास यह है कि सरकार की काम की गारण्टी योजना ग्रामीण कामगारों के लिए मौसमी मज़दूरी बढ़ाने में योगदान कर रही है। स्त्रियां अब भी आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर बनी हुई हैं और हाशिए पर पहुंचे हुए समूहों की स्त्रियां सबसे ही निचले पायदान पर हैं। सीमित कौशलों वाली, बहुत कम परिसम्पत्तियों के स्वामित्व वाली, वित्तीय उत्पादों तक कम से कम पहुंच वाली और कभी–कभी सामाजिक रूप से प्रताड़ित होने वाली अल्पसंख्यक समुदायों की स्त्रियों को भारत की आर्थिक प्रगति से सबसे कम लाभ हुआ है।

''सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की एक कमज़ोरी यह थी कि सामाजिक आयाम पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, खासतौर पर सामाजिक रूप से प्रकियाओं से बाहर रखे गए समूहों की ज़रूरतों पर... समावेशी विकास प्रकिया के लिए, प्रकियाओं से बाहर रखे जाने की समस्या का समाधान, बेहद महत्वपूर्ण है।'' **शोध संस्थान**

सामाजिक प्रश्न

21. **भारत ने सामाजिक रूपान्तरण के लिए दीर्घावधि प्रतिबद्धता स्वीकार की है और यह संसार के कुछ सबसे बड़े सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।** इन सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों में स्थानीय शासन में आरक्षित सीटें शामिल हैं। भारत की असंदिग्ध समाजिक प्रगति के बावजूद हाशिए पर पहुंचे हुए समुदाय पीछे छूट गए हैं और अगर देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेश को और गहरा बनाने के प्रयासों को तेज न किया गया तो यह समुदाय पीछे ही छूटे रह जाएंगे। पूरे भारत में स्थितियों में भारी विविधता है। कुछ क्षेत्रों में सामाजिक रूपान्तरण के परिणाम स्वरूप सभी समूहों के मानव विकास संकेतक बहुत ऊंचे दिखते हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में जैण्डर, जाति और धार्मिक समूहों में हुई प्रगति असमान है। हाशिए पर पहुंचे हुए समुदाय, वे जहां भी हों, भारी बाधाएं झेलते हैं। उनके पास सबसे कम परिसम्पत्तियां हैं, वे सबसे कम वेतन पर काम करते हैं, उन्हें वित्त जुटाने में दिक्कत होती है, उन्हें न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अक्सर वे खाद्य के मामले में असुरक्षित होते हैं, उन के बच्चे सबसे कम उम्र में स्कूल छोड़ते हैं, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उन्हीं की स्त्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानियां होती है, और बच्चों में कुपोषण के सबसे ऊंचे स्तर इन्हीं समुदायों में मौजूद हैं। कुछ समूह पीढ़ियों के अन्तर के कारण बाधाएं झेलते हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल में शिक्षा पाने में कोई कानूनी बाधाएं न होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का स्तर अनुपातिक रूप से बहुत कम है। बहुत से आदिवासी समुदाय संसाधन समृद्ध अवस्थितियों में रहते हैं जहां कानूनी सुरक्षाओं के बावजूद औद्योगिकीकरण और व्यापक खनन के कारण विस्थापन, भूमि और आजीविकाओं का छिनना, खेती की अनदेखी और पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है।

''समतापूर्ण और टिकाऊ आजीविकाएं पा सकने की राह में, जैण्डर–आधारित भेदभाव एक गम्भीर बाधा बना हुआ है। इस सच्चाई के बावजूद कि कृषिकार्य करने वाले श्रमबल का एक तिहाई स्त्रियां हैं, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार उन के विरूद्ध हैं।'' **किसान संगठन**

"शौचालयों के न होने से स्त्रियां मजबूरन कम पानी पीती और कम खाना खाती हैं जिस के कारण गम्भीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं।" **स्त्री संगठन**

22. **स्त्रियां और लड़कियां अब भी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव झेलती है।** हालांकि भारत में अलग–अलग जगहों पर स्थितियां अलग–अलग हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैण्डर संकेतक अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी ऊंचे हैं। पितृसत्तात्मक विनाश व्यापक है और सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के माध्यम से जड़ें पकड़ रहा है और मजबूत हो रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग दो तिहाई स्त्रियां हिंसा झेलती हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से बाहर रखे गए समूहों की स्त्रियां हिंसा के सबसे बुरे रूप झेलती हैं और बहुत से मामलों में उन्हें कानूनी या प्रशासनिक न्याय और कार्रवाई का लाभ नहीं मिल पाता। यह बात विशेषरूप से एचआईवी/एड्स के साथ जी रही स्त्रियों, विकलांग स्त्रियों, सेक्स वर्करों, विधवाओं और सुरक्षा बलों द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में रह रही स्त्रियों पर लागू होती हैं। अपनी ही देह पर स्त्रियों की स्वायत्तता न होने और बेटों को मिलनेवाली व्यापक वरीयता के कारण भारत में जन्म के समय जैण्डर अनुपात संसारभर में सबसे अधिक असंतुलित है।

23. **स्त्रियों की आर्थिक स्थिति विशेषरूप से चिन्ताजनक है।** भारत के, सभी भागों में तो नहीं लेकिन, कई भागों में स्त्रियों को परम्परागत रूप से भूमि और सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकारों से वंचित रखा जाता है और वह अक्सर सस्ते श्रमिक के तौर पर काम करती हैं या घरेलू कामकाज के अलावा खेतों में भी काम करती हैं। वैसे तो इसे एक समस्या के तौर पर नहीं देखा जाता लेकिन जलवायु परिवर्तन और जलस्त्रोतों के रिक्तीकरण सहित प्राकृतिक संसाधनों के गैरज़िम्मेदाराना इस्तेमाल की कड़ी चोट खासतौर पर स्त्रियां झेलती हैं। स्त्रियों को आहार, पानी, और ईंधन जुटाने में अधिक समय और ऊर्जा लगानी पड़ रही है। इस से आय पैदा करनेवाली प्रक्रियाओं में लगाने के लिए उनके पास कम समय बचता है जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादकता कमज़ोर होती हैं। सेवापरिदान के बिन्दुओं पर पुरूष–बहुल कार्यबल होने और भारी संख्या में स्त्रियों के अपने अधिकारों का उपयोग न करने के कारण उनकी स्थिति और भी जटिल हो जाती है।

24. **सार्वजनीन प्राथमिक नामांकन लगभग प्राप्त कर लेने के बाद अब सीखने की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है।** कई राज्यों में अध्यापकों के अनुपस्थित रहने में कमी लाने और उनकी योग्यताएं सुधारने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कक्षा में जाति और धर्म आधारित भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से पहलें अभिकल्पित और कार्यान्वित की जा रही हैं। अक्सर दलित, जनजातीय और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों, विशेषरूप से लड़कियों को, अक्सर स्कूल में साथ पढ़ने वाले बच्चे और अध्यापक परेशान करते हैं। इस कारण

उन के स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने की दर अधिक रहती है। हाशिए पर पहुंच गए बच्चे, खासतौर पर प्रवासी और विकलांग बच्चे, अब भी शिक्षा तक समतापूर्ण पहुंच नहीं पा सके हैं। सीखने के मामले में बुरे परिणाम और स्कूली शिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ देने की ऊंची दरों के साथ यह सच्चाई भी जुड़ी है कि बहुत से स्कूलों तक पहुंचना दुष्कर है और लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा से विहीन स्कूलों का प्रतिशत बहुत अधिक है।

25. **महत्वपूर्ण देशव्यापी स्वास्थ्य अभियानों के फलस्वरूप एचआइवी/एड्स और पोलियो की रोकथाम हुई है।** 2010 से भारत पोलियो–मुक्त है। हाल तक संसार में होने वाले पोलियो के लगभग आधे मामले भारत में होते थे, इस दृष्टि से यह एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में एचआइवी/एड्स के प्रसार की दर में भी कमी आई है। इन सफलताओं को देखते हुए मातृ मृत्युदर, शिशु और पांच वर्ष से कम के बच्चों की मृत्युदर और कुपोषण जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति की धीमी रफ्तार पर विचार करना आवश्यक है। स्वास्थ्य संकेतकों के पिछड़ेपन के कारण जटिल हैं लेकिन वे अपर्याप्त आधारभूत संरचनाओं, देश के दुर्गम क्षेत्रों में प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी, पिछड़े सामाजिक प्रचलन, स्त्रियों के विरूद्ध पूर्वाग्रह, जागरूकता की कमी और भोजन और चिकित्सा की कीमतों का बढ़ना जैसे कई घटकों से जुड़े हैं। भारत की आधी जनसंख्या का खुले में मलत्याग करना अगर निर्णायक नहीं तो

''हर व्यक्ति को पूरे जीवन पानी पाने और अपनी आजीविका का अधिकार होना चाहिए। मैं नदी के किनारे पला–बढ़ा हूं और अब मुझे नदी से पानी खरीदना पड़ता है! जब हमारी ज़रूरतें पूरी तक नहीं हो पा रहीं तब पानी पाइपों के ज़रिए दूसरे राज्यों को क्यों बेचा जा रहा है?'' युवा समूह

चित्र सौजन्यः डब्ल्यूएफपी

कम से कम एक प्रमुख घटक है जो देश की निरन्तर ऊंची अस्वस्थता और मृत्युदरों और कुपोषण के स्तर की कुंजी है।

26. **सामाजिक स्थितियों को सुधारने की भारत की संकल्पबद्धता अद्वितीय है और दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण है।** भारत सरकार स्कूलों में रोज़ाना भोजन कार्यक्रम और गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे लोगों के लिए सौ दिन के काम की गारण्टी देनेवाली रोजगार योजना सहित संसार के कुछ सबसे बड़े सार्वजनिक सहायता और पुनर्वितरणात्मक पहलें चला रही है। पिछले दशक में भारत ने भ्रूण लिंग परीक्षण, दहेज, दो विवाह, घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन हमले के विरूद्ध कानून बनाए हैं। पिछले पांच वर्षों में देश की 11वीं राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत सरकार की 15 सबसे बड़ी सामाजिक योजनाओं के लिए 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि रखी गई। भारत की नई 12वीं राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत से अधिक आधारभूत संरचनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक निवेशों में लगाया जाएगा।

पर्यावरणीय प्रश्न

27. **जलाशयों का रिक्तीकरण और भूजल का अन्धाधुन्ध उपयोग सबसे अधिक चिन्ताजनक पर्यावरणीय प्रश्न हैं जिन पर तुरन्त**

चित्र सौजन्यः यूएनडीपी

ध्यान दिया जाना चाहिए। कई राज्यों में पानी की कमी के पूर्वानुमान स्पष्ट रूप से बताए गए हैं जिससे कृषि उत्पादन और घरेलू उपभोग सीधे–सीधे प्रभावित होंगे। ज्यादातर शहरी और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाएं गैर–टिकाऊ ढंग से प्रबन्धित की जाती हैं जिससे भविष्य में पानी उपलब्ध कराना खटाई में पड़ सकता है। पानी की कमी के कई सहवर्ती प्रभाव होते हैं। कई ग्रामीण समुदायों में स्त्रियों और लड़कियों को पानी लाने के लिए ज्यादा लम्बी दूरियां तय करनी पड़ रही हैं जिससे शिक्षा, काम और नागरिक प्रक्रियाओं में सहभागिता के लिए उपलब्ध समय कम होता जा रहा है।

28. **भारत के निरन्तर विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।** भारत में 40 करोड़ लोगों की ऊर्जा तक पहुंच नहीं है, भारत कोयले और अन्य ऊर्जा स्रोतों की घटती आपूर्ति से निपटने के लिए कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के बीच सन्तुलन बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। जैवविविधता का प्रबन्धन भी एक उतनी ही ऊंची प्राथमिकता है, विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में जहां जैवविविधता की हानि भारत के सबसे गरीब और सबसे अधिक हाशिए पर पहुंचे हुए समुदायों की आजीविकाओं को कमज़ोर कर रही है। दूसरे देशों की तरह यहां भी जलवायु परिवर्तन कमज़ोर समुदायों पर अधिक दुष्प्रभाव डाल रहा है, खाद्यसुरक्षा और आजीविकाओं को कमज़ोर कर रहा है और आपदाओं का जोखिम बढ़ा रहा है।

29. **जबतक पर्यावरणीय ह्रास का समाधान नहीं होता और प्राकृतिक संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबन्धित नहीं किया जाता, विकास से हुए भारत के लाभों पर जोखिम की तलवार टंगी रहेगी।** भारत लम्बे समय से यह तर्क देता रहा है कि भारी गरीबी, प्रदूषण और पर्यावरणीय ह्रास में एक महत्वपूर्ण घटक है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भारत जल्दी ही उस बिन्दु पर पहुंच जाएगा जहां गरीबी, संसाधनों का खराब प्रबन्धन और जलवायु परिवर्तन का संयोग एक महत्वपूर्ण और शायद पलटी न जा सकनेवाली भंगुरता की स्थिति ला देंगे। पहले ही समुदाय बार–बार फसलें खराब होने, मानसून की अवधि गड़बड़ाने, जलस्रोतों के रिक्तीकरण और जंगलों के खात्मे से जूझ रहे हैं। ''पानी को लेकर तनाव और ऊर्जा विपन्नता'' की परिघटना का बहुत ही बुरा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ रहा है जहां किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। बाज़ार से मिलनेवाले संकेत भी इस स्थिति में योगदान दे रहे हैं। बढ़ती कीमतों ने किसानों को भोजन के काम आनेवाली फसलों की जगह नकदी फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया है जिन्हें बहुत अधिक पानी और कीटनाशकों की जरूरत होती है और जो मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती हैं।

नए विकास एजेण्डा के लिए प्रस्ताव

30. **राष्ट्रीय परामर्श में शामिल आठ क्षेत्रों ने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं।** राष्ट्रीय परामर्श में शामिल कई क्षेत्रों ने मज़बूती से यह बात रखी है कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्रतिस्थापित करनेवाले ढांचे में सहस्त्राब्दि घोषणा में निहित मानवाधिकार सिद्धान्तों और टिकाऊ और समतापूर्ण विकास के उन सिद्धान्तों की पुष्टि होनी चाहिए जिन पर 2012 में रियो+20 सम्मेलन में सहमति बनी थी। बहुत से लोग यह भी महसूस करते हैं कि नए ढांचे के लिए वित्त संसाधन शुरू में ही प्राप्त कर लेना चाहिए जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय साझेदार अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराएं। नए विकास ढांचे के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव कई विचारों के संश्लेषण को निरूपित करते हैं। क्योंकि सभी अनुशंसाओं पर सभी क्षेत्रों की सहमति नहीं बन पाई है इसलिए प्रत्येक संयोजक की रिपोर्ट संलग्न की जा रही है। संक्षेप में, मुख्य संस्तुतियां हैं:

अ. ढांचे के वर्णनात्मक खण्ड में हस्ताक्षरी देश इस बात की पुष्टि करें कि नया विकास एजेण्डाः

सहस्त्राब्दि घोषणा के केन्द्रीय मूल्यों की *पुनरअभिपुष्टि* करता है और गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ विकास, न्याय, साझा जिम्मेदारी, समावेशी अभिशासन और स्त्रियों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देता है

आवश्यक बनाता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समझौतों के हस्ताक्षरी होने के नाते राष्ट्रीय शासन यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाएं कि मानवाधिकार सभी नागरिकों पर लागू हों भले ही वे किसी भी लिंग, जाति, जातीय समूह या अल्पसंख्यक वर्ग के हों

चित्र सौजन्यः यूएनडीपी

चित्र सौजन्यः यूएन विमैन

यह विश्व की जनसंख्या के सब से गरीब 20 प्रतिशत लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक असमता को कम करने पर मजबूती से *प्रयास केन्द्रित* करता हो और 2030 तक गरीबी के उन्मूलन की अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की संकल्पबद्धता को पुनरअभिपुष्ट करता हो

संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च समझौते के अनुसार राष्ट्रीय रणनीतियों और सामर्थ्यों के माध्यम से नए लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, राष्ट्रों का *सशक्तीकरण* करता हो

मूल सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य ढांचे में प्राप्त न किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने की संकल्पबद्धता की *पुनरअभिपुष्टि* करता हो

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को *शामिल* करता हो जिनमें जैण्डर, सामाजिक समूह, आयु और जातीयता के आधार पर अलग–अलग आंकड़े शामिल हैं जिन का इस्तेमाल किसी देश की प्रगति को मापने के लिए करने के लिए राष्ट्रीय शासनों को प्रोत्साहित किया जाता है

विकास की प्रभाविता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय सार्वजनिक और निजी निवेश, बढ़ी हुई आधिकारिक विकास सहायता और सबसे गरीब देशों को कर्ज में राहत के संयोग से *वित्तपोषित* किया जाएगा।

एजेण्डा के कार्यान्वयन को इस तरह करने को *अनिवार्य बनाता हो* जिसमें समावेशी फैसले लेने, जनकेन्द्रित नियोजन और नागरिकों द्वारा की जानेवाली मॉनिटिंरिंग के माध्यम से सिविल सोसायटी को उसकी सही जगह मिले

ब. चरम गरीबी और भूख के उन्मूलन के लक्ष्य को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए।

स. वृद्धि और सम्मानजनक काम को जोड़नेवाले एक नए वैश्विक लक्ष्य पर सहमति बने।

द. स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण को लक्ष्यित करके जैण्डर असमानता को खत्म करने के उद्देश्य वाले एक पुनर्लिखित लक्ष्य पर सहमति बने।

इ. उच्च गुणवत्तावाली स्वास्थ्य सेवा और आधारभूत शिक्षा तक सब की पहुंच की गारण्टी देनेवाले पुनर्लिखित लक्ष्यों पर सहमति बने।

च. सुरक्षित पेयजल और आधारभूत स्वच्छता तक संवहनीय पहुंच की गारण्टी देनेवाले एक नए लक्ष्य पर सहमति बने।

ज. पानी के संवहनीय उपयोग और खाद्य सुरक्षा को जोड़नेवाले एक नए समेकित लक्ष्य पर सहमति बने।

ह. अक्षय ऊर्जा तक सब की पहुंच की गारण्टी देनेवाले एक नए लक्ष्य पर सहमति बने।

झ. इन वैश्विक लक्ष्यों को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्रीय परामर्श में शामिल हुए क्षेत्रों ने कई सम्भावित लक्ष्यों का सन्दर्भ दिया हैः

- ढांचे की अवधि के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे लोगों की संख्या में 15–20 प्रतिशत की कमी
- संसार के गरीब लोगों में से निम्नतम 20 प्रतिशत की गरीबी दूर करना
- कुपोषण से पीड़ित लोगों, बच्चों सहित, का अनुपात आधा करना
- औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के लिए एक न्यूनतम जीवननिर्वाह योग्य वेतन सुनिश्चित करना
- कार्यस्थल पर जैण्डर समता सुनिश्चित करना
- न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा आधार की स्थापना सुनिश्चित करना
- सभी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुरक्षित करना
- न्यूनतम पेन्शन सहित, समान सम्पत्ति अधिकार और ऋण तक समान पहुंच सुनिश्चित करना
- अभिशासन संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
- 1990 की आधार–रेखा से मातृ मृत्युदर में 75 प्रतिशत कमी लाना
- 1990 की आधार–रेखा से शिशु मृत्युदर में 75 प्रतिशत कमी लाना
- आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाना
- यौन और प्रजनन अधिकार सुनिश्चित करना

- सभी बच्चों के लिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षण सहित, स्कूली शिक्षा का पूरा करना सुनिश्चित करना
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग बढ़ाना
- एचआइवी/एड्स, मलेरिया, क्षय रोग और अन्य संक्रामक और असंक्रामक रोगों से संघर्ष
- जीवन को खतरे में डालनेवाले प्रमुख असंक्रामक रोगों से संघर्ष
- शहरी और ग्रामीण जल–आपूर्ति को सुरक्षित बनाना और उसका नवीनीकरण
- खुले में मलत्याग खत्म करना
- ग्रामीण और शहरी अपशिष्ट प्रबन्धन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना
- पानी और ऊर्जा का संवहनीय उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, उन सिद्धान्तों पर आधारित एक वैश्विक अभिशासन ढांचे की स्थापना जिन पर रियो+20 में सहमति बनी थी
- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का वहनीय और पहुंच के अन्दर होना सुनिश्चित करना

नोट्स

UNITED NATIONS
संयुक्त राष्ट्र

यूनाइटेड नेशन्स रेज़िडेण्ट कोऑर्डिनेटर्स ऑफ़िस
55, लोदी एस्टेट
नई दिल्ली – 110003
भारत
टेलिफ़ोनः 91–11–46532333
फ़ैक्सः 91–11–24627612
ईमेलः unrco@one.un.org
वैबसाइटः http://in.one.un.org